update 28/11/17

R.C.M.S
मुक़दमा 2016/00073

ग्राम करेल
ग्राम पंचायत करेल

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मलारना डूंगर (स.मा.)

प्र०सं०	तारीख	किस्म	तारीख फैसला	तादाद वर्क
34	15-9-16	दावा 136	4-6-18	

रामखिलाड़ी बनाम लेण्ड होल्डर

निम्न तारीख पेशी

6-10-16 पटवारी रिपोर्ट
18/10
16/11
6/12
19-12-16
10/1/17
[illegible]/1/17
9/2
20-2-17
16/3
6/4
2/5
16-5-17
20/6
6/7/17
4/8/17
18/8/17
4/9/17 जवाब पेश
19/9
27/9/17
6/10 मौका रिपोर्ट तहसीलदार तलब
17/10
16-11-17 मौका रिपोर्ट पेश जवाब
4/12
5-2-18
14-2-18
26/2
15/3
19-3-18
9-4-18
20/4
30/5 बहस
7/5
4/6/18 खारिज
8/6/18

निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/2016	15.9.2016	4.6.2018

1. रामखिलाडी पुत्र बजरंगा, मीना निवासी करेल तहसील मलारनाडूंगर
2. रामदास पुत्र बजरंगा, मीना निवासी करेल तहसील मलारनाडूंगर
3. रामसिंह पुत्र बजरंगा, मीना निवासी करेल तह0 मलारनाडूंगर ---वादीगण

बनाम

---प्रतिवादी

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती तरमीम

उपस्थित :-श्री शम्भूलाल मीना, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ग्राम करेल के निवासी हैं। ख0नं0 1161 मि.1 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 1166 मि.1 रकबा 4 बीघा ग्राम करेल में आबादी भूमि है जिस पर वादीगण के रिहायशी मकान बने हुए हैं। सेटिलमेंट विभाग द्वारा ख0नं0 1161 मि. रकबा 4 बीघा का नवीन नम्बर 1414/1459 रकबा 1.01 है0, ख0नं0 1166 मि. रकबा 4 बीघा का नवीन ख0 नं0 1413 रकबा 1.01 है0 बनाया है। सेटिलमेंट कर्मचारियों ने मौका देखे बिना ख0नं0 1414/1459 को गलत तरीके से दूसरी जगह पर नक्शा ट्रेस में ख0नं0 1161 गै0मु0 आबादी की तरमीम पूर्व से सही तरीके से राजस्व रिकार्ड पर दर्ज है। ख0नं0 1161 गै0मु0आबादी जिसकी तरमीम पूर्व में ही नक्शा ट्रेस में दर्ज की जगह पर सेटिलमेंट कर्मचारियों ने गलती से ख0नं0 1416 रकबा 0.45 को व ख0नं0 1417 रकबा 1.10 को गै0मु0चरागाह दर्ज कर दिया जो गलत है। ख0नं0 1416 व ख0नं0 1417 पर मौके पर सेटिलमेंट के पूर्व से ही आबादी बसी हुई है। दिनांक 22.8.2016 को हलका पटवारी ने कहा कि तुम्हारी आबादी गै0मु0 चरागाह में बसी हुई है। तुम्हारे विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही होगी। तब वादीगण ने हलका पटवारी से अपनी आबादी भूमि की नकल प्राप्त की और नक्शा ट्रेस प्राप्त किया तो वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र डिक्रि फरमाया जाकर ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 में से 0.50 है0 को चरागाह किया जावे। ख0 नं0 1416 रकबा 0.45 है0 व ख0नं0 1417 रकबा 1.10 है0 में से 0.06 है0 भूमि को पूर्व तरमीम के मुताबिक आबादी की जावे। ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 में से 0.50 है0 को चरागाह करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

किया जावे। पुराना नक्शा ट्रेस के अनुसार नये नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 खाता चरागाह भूमि प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2063 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2063 प्रदर्श–6, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–9, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–10 पेश किए हैं एवं बयान वादी रामखिलाडी मीना पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार मलारनाडूंगर से मंगवाई गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 प्रदर्श–4 के अनुसार ख0नं0 1161 मि. रकबा 4 बीघा आबादी एवं ख0नं0 1166 मि. रकबा 4 बीघा आबादी दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 के अनुसार ख0नं0 1166 मि. रकबा 4 बीघा से ख0नं0 1413 रकबा 1.01 है0 बनाया गया है। ख0नं0 1161 मी. काफी बडा नम्बर है जिसमें ख0नं0 1416 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 1417 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1418 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1414/1456 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1414/1457 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 बनाए गए हैं। वादीगण के वादपत्र के अनुसार साबिक ख0नं0 1161 मि. रकबा 4 बीघा से ख0नं0 1414/1459 बनाया गया है। नकल जमाबंदी सं0 2063 प्रदर्श–6 के अनुसार ख0नं0 1413 रकबा 1.01 है0 एवं ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 गै0मु0 आबादी दर्ज है। वादी अपने वादपत्र में भूमि ख0नं0 1416 रकबा 0.45 है0 व ख0नं0 1417 रकबा 1.10 है0 में से 0.06 है0 भूमि को आबादी करवाना चाहता है एवं ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 में से 0.50 है0 को चरागाह कराना चाहता है। तहसीलदार से प्राप्त

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

रामखिलाडी वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार, दावा

(3)

रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 1416 में आबादी बसी हुई है तथा ख0नं0 1417 में करीब 0.05 है0 में पश्चिम की तरफ मकान व बाडे बने हुए हैं। इसी प्रकार ख0नं0 1459/1414 रकबा 0.01 है0 में मौके पर आबादी है तथा पश्चिमी कुछ भाग खाली है जिस पर काश्त है। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त इस रिपोर्ट के अनुसार वादीगा का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं ग्राम करेल की भूमि ख0नं0 1416 रकबा 0.45 है0 व ख0नं0 1417 रकबा 1.10 है0 में पश्चिम की ओर स्थित 0.06 है0 भूमि को गै0मु0 आबादी दर्ज करने तथा ख0नं0 1414/1459 रकबा 1.01 है0 में से पश्चिमी भाग की 0.50 है0 भूमि को चरागाह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5·6·18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.21 16:36:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: